कृषि कानून : वरदान या अभिशाप

प्रियंका कुमारी

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

पत्राचारकर्ता : dripriyanka.biotech@gmail.com

प्रस्तावना

आज देशभर में किसान विद्रोही के रूप में सड़कों पर है जो किसान हमारे देश में पूज्यनीय और सम्मानीय है वो आजकल आंदोलन का हिस्सा बन गये हैं। भारत सरकार ने उनके लिए कृषि से सम्बन्धित कानून पारित किये हैं। ये कानून सरकार की तरफ से उनके लिए हितकारी है परन्तु किसानों को अपनी परम्परागत प्रणाली ही हितकर प्रतीत हो रही है। किसानों को लगता है कि नये कानून से उनके भविष्य में अनेकों समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं। ये कानून और कैसे किसानों के लिए हितकारी या वरदान साबित हो सकते हैं? परम्परागत कृषि प्रणाली से कैसे भिन्न है और किस प्रकार समस्याओं का स्रोत बन सकते हैं? कृषि के 3 कानून पारित किये गये हैं आइये जानने की कोशिश करते हैं ये कानून एक दृष्टि में–

1. पहला कानून-

इस कानून के अनुसार सभी किसान अपनी फसल को पूरे देश में कहीं भी बेचने के लिए स्वतन्त्र है। एक राज्य को दूसरे राज्यों के साथ मिलकर कारोबार बढ़ाने के लिए भी स्वतन्त्र किया गया है। इसमें आने वाले सभी प्रकार के खर्चों को कम करने के लिए भी कहा गया है। किसानों के अनुसार इस कानून के आने के बाद वो एक प्रतियोगिता का हिस्सा बन जायेंगे तथा उन्हें डर है कि मंडी व्यवस्था खत्म होने से वो उचित मूल्य पर अपना अनाज नही बेच पायेंगे। हालांकि इससे पूर्व वे मंडी में होने वाले खर्च से स्वतः ही परेशान थे।

2. दूसरा कानून-

इस कानून के अनुसार सरकार द्वारा कृषि करारों पर राष्ट्रीय ढाँचे का प्रावधान किया गया है। यह कानून कृषि पैदावरों की बिक्री, फार्म सेवाएँ, कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए मजबूत करता है। संविदा किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज की आपूर्ति करना, तकनीकी मदद और फसल की निगरानी, कर्ज की सहुलियत और फसल बीमा पहले की तरह ही उपलब्ध करायी गयी है।

3. तीसरा कानून-

इस कानून के अनुसार पारम्परिक फसल जैसे अनाज, दाल, तिलहन, खाने वाला तेल, आलू प्याज आदि को जरूरी चीजों की सूची से हटाया गया है। जिसके कारण किसान किसी भी प्रकार की फसल, जिसकी भी बाजार में ज्यादा जरूरत है फसलों को उगाकर सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इस कानून के द्वारा मुकाबले के कारण बाजार में होने वाली कालाबाज़ारी पर रोक लगायी जा सकती है।

किसान आंदोलन के तथ्य

1. प्रथम कानून के कारण किसानों को जो स्वतंत्रता दी गई है उसमें मंडी व्यवस्था खत्म हो रही है। उस मंडी व्यवस्था में न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होता है जिसके कारण प्रत्येक किसान को कम से कम एम.एस.पी. तो मिलता ही था। इस प्रकार किसानों को लगता है कि उनका एम.एस.पी. खत्म किया जा रहा है।

2. किसानों को लगता है पहले उनका मुकाबला केवल अपने राज्यों में स्थित किसानों से था परन्तु अब बाहर के किसानों के साथ भी है। जिससे उन्हें उचित दाम नहीं मिल पायेगा।

3. किसानों के अनुसार उनके साक्षर न होने के कारण अनुबंध कृषि या अन्य सेवाओं को लाभ लेने के लिए वे अब साक्षर लोगों पर ही निर्भर रहेंगे।

4. हमारे देश में अधिकतर छोटे किसान है और उन सभी को लगता है कि इस कानून से सिर्फ बड़े किसानों को ही फायदा मिल सकता है क्योंकि छोटे किसानों को जमीन भी छोटी होती है और बड़ी कम्पनी को फसल अधिक मात्रा में चाहिए होगी तो वे इस योजना का लाभ नहीं ले पायेंगे।

5. पारम्परिक फसलों की बुवाई के लिए किसानों को अपनी जमीन एक सुरक्षा देती थी उनको इस कानून से खतरा

महसूस हो रहा है क्योंकि जो पारम्परिक फसलें होती थी वे उसकी बिक्री के प्रति भी आश्वस्त होते थे परन्तु अब तो कोई भी कुछ भी उगाकर मुकाबले में शामिल हो जायेगा, जिससे उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत और पैसा खर्च करना होगा।

इस प्रकार यह आंदोलन अपनी प्रगति पर है किन्तु यहाँ कुछ समझने और समझाने योग्य तथ्य है और कुछ विशेष प्रश्न जो दिमाग में उठते हैं वे यह कि क्या सचमुच ये कानून किसानों के पक्ष में नहीं है या किसानों को अपना पक्ष दिखाई नहीं दे रहा है।

तार्किक सन्देश

- केन्द्र सरकार तीनों कानून के मसौदे को संसद में पेश करते वक्त ही स्पष्ट कर चुकी है कि न तो मंडिया बंद होगी, न ही एम.एस.पी. प्रणाली खत्म होगी। इस कानून के जरिये पुरानी व्यवस्था के साथ-साथ किसानों को नए विकल्प भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह उनके लिए फायदेमंद है।
- प्रथम कानून के अनुसार किसानों के पास उत्पाद की बिक्री के लिए ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे। बिचौलियों का रास्ता बंद हो जाएगा। प्रतिस्पर्धी डिजिटल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को बेहतर कीमत मिल पायेगी।
- अनुबंध फसल पहले भी अलिखित होती थी। तब निर्यात होने लायक आलू, गन्ना, कपास, चाय, कॉफी व फूलों के उत्पादन के लिए ही अनुबंध किया जाता था। इसके अलावा कुछ राज्यों ने पहले के कृषि कानून के तहत अनुबंध कृषि के लिए नियम बनाये थे।

कृषि सेवा करार-

सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि इस कानून का लाभ देश के 86% किसानों को मिलेगा। किसान जब चाहे तोड़ सकते हैं लेकिन कंपनियां अगर अनुबंध तोड़ती है तो उन्हें जुर्माना देना होगा और तय समय सीमा में विवादों का निपटारा होगा। खेत और फसल दोनों का मालिक हर स्थिति में किसान ही होगा।

कृषि क्षेत्र में शोध व विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा। अनुबंधित किसानों को सभी प्रकार के आधुनिक कृषि उपकरण मिल पायेंगे। उत्पाद बेचने के लिए मंडियों या व्यापारियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। खेत में ही उपज की गुणवत्ता की जाँच, ग्रेडिंग, बैगिंग व परिवहन जैसी सुविधायें उपलब्ध होंगी। किसान को नियमित और समय पर भुगतान मिल सकेगा।

तीसरे कानून के अनुसार अनाज, तिलहन, दाल, आलू व प्याज जैसी जरूरी चीजों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने की वजह से किसान हमेशा इन फसलों को उगाने के लिये प्रतिबद्ध नहीं होंगे। कोल्ड स्टोरेज व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश बढ़ेगा, क्योंकि वे अपनी क्षमता के अनुरूप उत्पादों का भण्डारण कर सकेंगे। इससे किसानों की फसल बर्बाद नहीं होगी। कृषि क्षेत्र में निजी व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। कोल्ड स्टोर व खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। किसानों की फसल बर्बाद नहीं होगी ओर उन्हें समुचित कीमत मिलेगी। जब सब्जियों की कीमत दोगुनी हो जायेगी या खराब न होने वाले अनाज का मूल्य 50 प्रतिशत बढ़ जायेगा तो सरकार भंडारण की सीमा तय कर देगी। इस प्रकार किसान व खरीददार दोनों को फायदा होगा।

औद्योगिक जगत का हौवा दिखाकर नए कानूनों का विरोध सच्चाई की अनदेखी करना है। यहाँ यह समझने की जरूरत है कि आढ़ती भी व्यापारी ही है फिर औद्योगिक जगत के रूप में निजी क्षेत्र का डर दिखाकर एक दूसरे किस्म के व्यापारियों की ढाल बनाने का क्या मतलब है। अगर किसान आढ़तियों पर भरोसा कर सकते है तो औद्योगिक जगत पर भी एक बार विश्वास करके आजमाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनुबन्धात्मक खेती के फायदेमंद नतीजों की भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

निष्कर्ष-

भारत में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले कही पीछे हैं। अधिकांश किसानों की गरीबी का यह सबसे बड़ा कारण है यह उत्पादकता तब तक नहीं बढ़ने वाली है जब तक कृषि के आधुनिकीकरण की तरफ कदम नहीं बढ़ाये जायेंगे। यह काम कोई भी एकतरफा नहीं कर सकता। इसमें निजी क्षेत्रों का सहयोग भी जरूरी है। अतः किसानों को अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए सकारात्मक रूप से कदम बढ़ाकर इसे आजमाना चाहिए।

❖❖